



राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर
e-mail : dmgomms.uda.mg@rajasthan.gov.in

जरिये ई-मेल

क्रमांक: DMG/DMGOMS/NMET/2020/31

दिनांक: 20.01.2023

आदेश

विभागीय प्रधान खनिज के खननपट्टाधारीयों के माध्यम से जमा करायी जाने वाली NMET (नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) राशि को विभागीय ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से जमा कराये जाने का प्रावधान तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रधान खनिज के खननपट्टाधारीयों द्वारा स्वयं के विभागीय लॉगिन के माध्यम से चालान जनरेट कर NMET राशि का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2023 तक देय NMET राशि एवं दिनांक 31.01.2023 तक जरिये मेन्यूअल चालान जमा करायी गयी NMET राशि को डेबिट/क्रेडिट नोट प्रावधान के जरिये NMET हेड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें।

(पी.आर. आमेटा)

अति. निदेशक खान (पर्या. एवं विकास)
एवं नोडल अधिकारी DMGOMS

क्रमांक: DMG/DMGOMS/NMET/2020/32-53

दिनांक: 20.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/पर्या. एवं विकास (मु0)/सर्तकता (मु0)/भू-विज्ञान (मु0)
4. अतिरिक्त निदेशक खान जोन-जयपुर/ उदयपुर/जोधपुर/कोटा।
5. तकनीकी सहायक (निदेशक), के.कार्या, उदयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियंता (मु0)-I/II/III।
7. अधीक्षण खनि अभियंता (वृत्त)/सर्तकता।
8. समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त प्रधान खनिजों के खननपट्टाधारको को इस हेतु सूचित करा NMET राशि को ऑनलाईन लिया जाना सुनिश्चित करावें।
9. समस्त खनि अभियंता(सर्तकता)/सहायक खनि अभियंता (सर्तकता)
10. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अति. निदेशक खान (पर्या. एवं विकास)
एवं नोडल अधिकारी DMGOMS